भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2176

दिनांक 08 अगस्त 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख

2176: श्रीमती रंजीत रंजनः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना और मानव संसाधनों में कमियों की पहचान की है, यदि हां, तो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सुदृढ़ प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो जनजातीय आबादी की नियमित प्रतिरक्षण सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का जनजातीय जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, उप-संभागीय अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार संख्या का ब्यौरा और उनमें मानव संसाधन का विवरण आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक

सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन -स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

दिनांक 24.07.2023 की स्थिति के अनुसार , व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या(सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए मौजूदा एसएचसी और पीएचसी को प्रोन्नत करके भारत में कुल 1,60,480 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) को परिचालित किया गया है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, निशुल्क और समुदाय की पहुंच में हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में दिए जाएंगे और इससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की सुविधा प्राप्त होगी ।
पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि से शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपाय प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थाओं की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भावी महामारियों / आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार किया जा सके।

(ख) सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची के अनुसार टीके निशुल्क प्रदान किए जाते हैं; कर्मियों का क्षमता निर्माण किया जाता है और जनजातीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में कोल्ड चैन प्रणालियों का अनुरक्षण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन इंद्रधनुष जैसे विशेष कैच-अप टीकाकरण अभियानों का आयोजन किया गया है, ताकि छूटे हुए और दुर्गम क्षेत्रों वाले बच्चों तक पहुंचा जा सके, जिनमें वन और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली वंचित और दुर्गम क्षेत्र की जनसंख्या शामिल है। स्थानीय मान्यताओं के कारण वैक्सीन से हिचकिचाहट को दूर करने के लिए विशेष संचार कार्यनीतियों को भी लागू किया जाता है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है, को वरीयता देते हुए मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबधी एक केन्द्र प्रायोजित योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत तीन चरणों में कुल 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय जिलों में अनुमोदित सभी चिकित्सा कॉलेजों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे
2	असम	कोकराझार
3	बिहार	जमुई
4	छत्तीसगढ़	सरगुजा
		कांकेर
		कोरबा
		महासमुंद
		राजनांदगांव
5	गुजरात	नर्मदा
		नवसारी
		पंचमहल
6	हिमाचल प्रदेश	चंबा
7	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
		राजौरी
8	झारखंड	पश्चिमी- सिंहभूम
		दुमका
		पलामू
		हजारीबाग
9	मध्य प्रदेश	मंडला
		शहडोल
		छिन्दवाड़ा
		सिंगरौली
		रतलाम
		खंडवा (पूर्वी निमाड़)
10	महाराष्ट्र	नंदुरबार
11	मणिपुर	चुराचंदपुर
12	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
13	मिजोरम	आइज़ोल
14	नगालैंड	मून
		कोहिमा
15	ओडिशा	मयूरभंज
		कोरापुट
		कालाहांडी
16	राजस्थान	बांसवाड़ा
		डूंगरपुर
		सिरोही
		दौसा
17	सिक्किम	पूर्वी जिला